

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय, जनपद- आगरा, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानुपर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।
2. विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जे०एन० मेडीकल कॉलेज अलीगढ़, एम०एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झॉंसी।

पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/सी०एच०/पी०बी०आई०/55/2017-18/10591-2 दिनांक 16/01/2018

विषय- जनपद/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में कार्यरत संविदा पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को पी०बी०आई० के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/5042-70, दिनांक 21/08/2017 एवं पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/9843-68, दिनांक 20/12/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेज/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी०एच०सी० स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) के संचालन हेतु आपरोशनल कास्ट, सैम बच्चों के सन्दर्भन एवं फालोअप हेतु आशा एवं आगनवाड़ी प्रतिपूर्ति राशि एवं कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

उक्त दिशा निर्देशों में मेडिकल कालेज/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी०एच०सी० स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) पर कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु प्रति संविदा चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रू० 15,000/- प्रतिमाह की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही अवगत कराना है कि परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तर से (पृथक से) दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) पर कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न मानकों के आधार पर इकाईयों में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किया जाना है-

पी०बी०आई० के मानक		Bed Occupancy rates			
		50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक	90 प्रतिशत से अधिक
Cure Rate	50 प्रतिशत से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 5000.00	रू० 5000.00
	65 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 10000.00	रू० 10000.00
	75 प्रतिशत अधिक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 10000.00	रू० 15000.00

नोट – अगर किसी इकाई की बीओआर 50 प्रतिशत से कम है। और क्योर रेट 50 प्रतिशत या अधिक है और यदि आगामी माह में बीओआर में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। और क्योर रेट 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक रहती है तो उस फैंसीलिटी के मेडिकल ऑफिसर को उस माह में ₹0 5000/- परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव देय होगा।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) से प्राप्त मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 06 माह (माह अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017) हेतु पत्र के साथ संलग्न इकाई एवं माहवार तालिका-01 के अनुसार परफारमेन्स के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जानी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न तालिकानुसार अपने चिकित्सालय इकाई में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नियमानुसार यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/पी0बी0आई0/55/2017-18/

दिनांक 01/2018

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. सम्बन्धित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ पत्र की प्रति सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराकर शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
10. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय, जनपद- आगरा, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानुपर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, संतरविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।
2. विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जे०एन० मेडीकल कॉलेज अलीगढ़, एम०एल०एन०, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी०एस०वी०एम०, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी०आर०डी०, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर०एल०बी०, मेडिकल कॉलेज झाँसी।

पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/सी०एच०/पी०बी०आई०/55/2017-18/

दिनांक 16 01/2018

विषय- जनपद/मेडिकल कालेज/सी०एच०सी०, स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में कार्यरत संविदा पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को पी०बी०आई० के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/5042-70, दिनांक 21/08/2017 एवं पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NRC/18-4/2017-18/9843-68, दिनांक 20/12/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेज/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी०एच०सी० स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) के संचालन हेतु आपरोशनल कास्ट, सैम बच्चों के सन्दर्भन एवं फालोअप हेतु आशा एवं आगनवाड़ी प्रतिपूर्ति राशि एवं कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

उक्त दिशा निर्देशों में मेडिकल कालेज/जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी०एच०सी० स्तर पर संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) पर कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु प्रति संविदा चिकित्सा अधिकारी को अधिकतम रू० 15,000/- प्रतिमाह की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही अवगत कराना है कि परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तर से (पृथक से) दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) पर कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न मानकों के आधार पर इकाईयों में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों को परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किया जाना है-

पी०बी०आई० के मानक		Bed Occupancy rates			
		50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	75 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक	90 प्रतिशत से अधिक
Cure Rate	50 प्रतिशत से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 5000.00	रू० 5000.00
	65 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 10000.00	रू० 10000.00
	75 प्रतिशत अधिक	शून्य	रू० 5000.00	रू० 10000.00	रू० 15000.00

नोट - अगर किसी इकाई की बी0ओ0आर0 50 प्रतिशत से कम है। और क्योर रेट 50 प्रतिशत या अधिक है और यदि आगामी माह में बी0ओ0आर0 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। और क्योर रेट 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक रहती है तो उस फैंसिलिटी के मेडिकल ऑफिसर को उस माह में रू0 5000/- परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव देय होगा।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) से प्राप्त मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 06 माह (माह अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017) हेतु पत्र के साथ संलग्न इकाई एवं माहवार तालिका-01 के अनुसार परफारमेन्स के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जानी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न तालिकानुसार अपने चिकित्सालय इकाई में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारी को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नियमानुसार यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/पी0बी0आई0/55/2017-18/10591-2-10 दिनांक 01/2018
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. सम्बन्धित जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ पत्र की प्रति सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराकर शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
10. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य